


संख्या १० वाद संख्या - ७६५/१९ / धारा - १०७ द०प्र०स०

अभिलेख उपस्थापित।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद की कार्यवाही प्रारंभ हुए छह माह से अधिक हो चुका है एवं वाद की कार्यवाही कालबाधित हो चुका है।

अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
धनबाद।